

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 04.12.2022**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त संतोष जयसवाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 700 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. संतोष जयसवाल पुत्र किशोरी लाल जयसवाल निवासी ग्राम खरगूपुर बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—516/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

**बरामदगी—**

01. 700 ग्राम अवैध गाँजा बरामद ।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय मय टीम ।

**शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

**01. थाना को0मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. छठीराम यादव पुत्र चिरौजी लाल निवासी ग्राम अमघटी थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-537/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. श्रीमती रेनू देवी पत्नी राम मनोज सोनकर नि0 खटिकनपुरवा मौजा पिपरा भिटौरा थाना मोतीगंज गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-312/22, धारा 60,60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. रोशन पुत्र रामसवेर निवासी भदेली गंज चौराहा (कौआगढ) थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-360/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।